तारीख हुक्म	FORM No. III Crim - 1 फर्द अहकाम (नियम 15) हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल जज अज अदालत :— जिला कलक्टर, धौलपुर (राज0) हरिओम मित्तल **बनाम** लोक सूचना अधि0 (अति0जिला कलक्टर धौलपुर) प्रथम अपील, (मु0संख्या 36/2022) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जीसीएमएस न0 2022/63)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
17.10.2022	अपीलान्ट अनुपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। अपीलान्ट ने यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा वांछित सूचना समय अवधि में उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण प्रस्तुत की है। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर धौलपुर को अपील की प्रति भिजवाई जाकर उनसे टिप्पणी प्राप्त की गई। लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलक्टर धौलपुर ने अपने पत्र कमांकः प्रथम अपील/आरटीआई/2022/563 दिनांक 12.10.2022 के द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी/रिपोर्ट में अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गई सूचना हेतु प्रभारी अधिकारी विधि अनुभाग कलेक्ट्रेट धौलपुर को लिखा गया। प्रभारी अधिकारी विधि अनुभाग कलेक्ट्रेट धौलपुर ने अपने पत्रांक विधि/सू.अ./2022/901 दिनांक 1.9.2022 से अवगत कराया कि सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 के तहत नोटिस 80 सीपीसी संबधी सूचना चाही गई है उक्त सूचना कार्यालय में उपलब्ध नहीं है, क्योकि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 की सूचना उपखण्ड अधिकारी बाडी को मूल ही आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु भिजवाया जा चुका है। उक्त सूचना पूर्व में पत्रांक विधि/2015/71 दिनांक 4.2.2015 द्वारा आवेदक को दी जा चुकी है। अपीलार्थी की सूचना के संबध में पुनः पत्रांक संपर्क/सू.अ./2022/470 दिनांक 6.9.2022 से लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बाडी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत आवेदन स्थानान्तरित किया जा चुका है जिसके पत्र की प्रति प्रस्तुत की है। अतः हमने लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी/रिपोर्ट का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा चाही गई	

सूचना उपखण्ड अधिकारी बाडी से संबधित होने के कारण अपीलार्थी का आवेदन कार्यालय के पत्र कमांक/संपर्क/सू.अ./2022/470 दिनांक 06.09.2022 से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत आवेदन स्थानान्तरित कर लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बाडी को भिजवाया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत उपखण्ड अधिकारी बाडी का प्रथम अपीलीय अधिकारी अति० जिला कलक्टर धौलपुर है। अपीलार्थी, अति० जिला कलक्टर धौलपुर को प्रथम अपील प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अपील पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलान्ट को उपलब्ध कराई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

(अनिल कुमार अग्रवाल)
जिला कलक्टर